



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 23, 2006/चैत्र 2, 1928

No. 44]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2006/CHAITRA 2, 1928

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2006

सं. भा.आ.प. -18/(1)/2006-मेडि./27395.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 में संशोधन करने के लिए भारत सरकार की पुर्वानुमति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. यह विनियम “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संशोधन विनियम, 2006” कहे जाएंगे।

2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली में विनियम 9 में उप-विनियम (2) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा:

“3 (i) विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित प्राधिकारी दाखले की प्रक्रिया की व्यवस्था इस तरीके से करेंगे कि हर वर्ष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 2 मई तक और सुपरस्पेशिअलिटी पाठ्यक्रमों में 1 अगस्त तक अध्यापन कार्य आरंभ हो जाए। इस उद्देश्य के लिए परिशिष्ट-III में दर्शायी गई समय सारणी का पालन करेंगे।

(ii) किसी भी परिस्थिति में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 31 मई के पश्चात और सुपरस्पेशिअलिटी पाठ्यक्रमों में 30 सितंबर के पश्चात किसी शिक्षा सत्र के संबंध में विद्यार्थियों का दाखला नहीं होगा। विश्वविद्यालय उक्त तारीख के पश्चात दाखिल किए गए किसी विद्यार्थी का पंजीकरण नहीं करेगा।

(iii) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् निर्देश दे सकती है कि दाखला बंद होने की अंतिम तारीख के पश्चात दाखला प्राप्त कर लेने वाले के रूप में पहचान किए गए किसी विद्यार्थी को अध्ययन के पाठ्यक्रम से बरखास्त कर दिया जाएगा या ऐसे विद्यार्थी को प्रदान की गई किसी चिकित्सा योग्यता को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के उद्देश्य के लिए योग्यता नहीं माना जाएगा।

जो संस्थान दाखले के लिए विनिर्धारित की गई अंतिम तारीख के पश्चात किसी विद्यार्थी को दाखला देता है, उसे ऐसी कार्रवाई का सामना करना होगा जो भा.आ.प. द्वारा निर्धारित की जाए जिसमें आगामी अकादमिक वर्ष के लिए उसकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता में, इस प्रकार किए गए दाखले के बराबर सीटों का अभ्यर्पण शामिल है।”

लेफ्टिनेन्ट कर्नल (डॉ.) ए. आर. एन. सेतलवड़ (सेवानिवृत्त), सचिव

[विज्ञापन-III/IV/100/2005-असा.]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम अर्थात्, “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000” भारत के राजपत्र भाग III, खण्ड 4 में 7 अक्टूबर 2000 को प्रकाशित हुए थे और भा.आ.प. की दिनांक 16 फरवरी, 2001, 6 अक्टूबर, 2001 और 16 मार्च 2005 की अधिसूचनाओं में संशोधित किए गए जो भारत के राजपत्र, भाग III, खण्ड 4 में क्रमशः 3 मार्च, 2001, 6 अक्टूबर, 2001 और 16 मार्च, 2005 को प्रकाशित हुए।

## परिशिष्ट-III

## स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए दाखले की प्रक्रिया पूरा कर लेने का कार्यक्रम

दाखले का कार्यक्रम	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम		सुपरस्पेशलिटी पाठ्यक्रम
	अखिल भारतीय कोटा	राज्य कोटा	
प्रवेश परीक्षा आयोजित करना	जनवरी का दूसरा रविवार	जनवरी के मध्य से जनवरी के अंत तक	मई-जून
अर्हक परीक्षा/ प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा	फरवरी का दूसरा सप्ताह	14 फरवरी तक	15 जून तक
काउंसलिंग/दाखलों का पहला चक्र	1 मार्च से 15 मार्च	10 अप्रैल तक पूरा हो जाना चाहिए	10 जुलाई तक पूरा हो जाना चाहिए
आर्बिटित कॉलेज और पाठ्यक्रम में शामिल होने की अंतिम तारीख	31 मार्च @@	17 अप्रैल	17 जुलाई
प्रतीक्षा सूची से सीटें आर्बिटित करने के लिए काउंसलिंग का दूसरा चक्र	7 अप्रैल तक	24 अप्रैल तक	24 जुलाई तक
काउंसलिंग के दूसरे चक्र में आर्बिटित सीटों के लिए अभ्यर्थियों के शामिल होने की अंतिम तारीख	14 अप्रैल	30 अप्रैल	31 जुलाई
अकादमिक सत्र आरंभ होना	2 मई	2 मई	1 अगस्त
वह तारीख जिस तक विद्यार्थी, प्रतीक्षा सूची से किसी भी कारण हुई रिक्तियों के प्रति दाखिल किए जा सकते हैं।	31 मई	31 मई	30 सितंबर

**टिप्पणी :** @@ कॉलेज के प्रमुख को चाहिए कि वे सात दिन के अंदर और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अंततः 6 अप्रैल तक तथा सुपरस्पेशलिटी पाठ्यक्रमों के लिए 23 जुलाई तक डी.जी.एच.एस. को आखिल भारतीय कोटा की सीटों के संबंध में, संबंधित अभ्यर्थी द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल होने की अंतिम तारीख के बाद मौजूद रिक्तियों की सूचना दें।

**MEDICAL COUNCIL OF INDIA****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd March, 2006

**No. MCI-18(1)/2006-Med./27395.**—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000, namely:-

1. These Regulations may be called the “Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2006”.
2. In the Postgraduate Medical Education Regulations, 2000 in Regulation 9, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted:
  - “3.(i) The Universities and other authorities concerned shall organize admission process in such a way that teaching in postgraduate courses starts by 2<sup>nd</sup> May and by 1<sup>st</sup> August for super speciality courses each year. For this purpose, they shall follow the time schedule indicated in Appendix-III.
  - (ii) There shall be no admission of students in respect of any academic session beyond 31<sup>st</sup> May for postgraduate courses and 30<sup>th</sup> September for super speciality courses under any circumstances. The Universities shall not register any student admitted beyond the said date.
  - (iii) The Medical Council of India may direct, that any student identified as having obtained admission after the last date for closure of admission be discharged from the course of study, or any medical qualification granted to such a student shall not be a recognized qualification for the purpose of the Indian Medical Council Act, 1956.

The institution which grants admission to any student after the last date specified for the same shall also be liable to face such action as may be prescribed by MCI including surrender of seats equivalent to the extent of such admission made from its sanctioned intake capacity for the succeeding academic year.”

Lt. Col. (Dr.) A. R. N. SETALVAD (Retd.), Secy.

[ADVT-III/TV/100/2005-Exty.]

**Foot Note :—** The Principal Regulations namely, “Postgraduate Medical Education Regulations, 2000” was published in Part-III, Section 4 of the Gazette of India on 7<sup>th</sup> October, 2000 and amended vide MCI notification dated 16<sup>th</sup> February, 2001; 6<sup>th</sup> October, 2001 and 16<sup>th</sup> March, 2005, published in Part-III, Section 4 of the Gazette of India on 3<sup>rd</sup> March, 2001; 6<sup>th</sup> October, 2001 and 16<sup>th</sup> March, 2005 respectively.

## APPENDIX-III

## Time Schedule for Completion of Admission Process for Postgraduate Medical Courses

Schedule for admission	Postgraduate Courses		Super-Speciality Courses
	All India Quota	State Quota	
Conduct of entrance examination	2 <sup>nd</sup> Sunday of January	Mid-January to End January	May-June
Declaration of result of qualifying examination/ entrance examination	2 <sup>nd</sup> week of February	By 14 <sup>th</sup> Feb.	By 15 <sup>th</sup> June
1 <sup>st</sup> round of counseling/ admissions	1 <sup>st</sup> March to 15 <sup>th</sup> March	To be over by 10 <sup>th</sup> April	To be over by 10 <sup>th</sup> July
Last date for joining the allotted college and course	31 <sup>st</sup> March @@	17 <sup>th</sup> April	17 <sup>th</sup> July
2 <sup>nd</sup> round of counseling for allotment of seats from waiting list	By 7 <sup>th</sup> April	By 24 <sup>th</sup> April	By 24 <sup>th</sup> July
Last date for joining for candidates allotted seats in 2 <sup>nd</sup> round of counseling.	14 <sup>th</sup> April	30 <sup>th</sup> April	31 <sup>st</sup> July
Commencement of academic session	2 <sup>nd</sup> May	2 <sup>nd</sup> May	1 <sup>st</sup> August
Last date upto which students can be admitted against vacancies arising due to any reason from the waiting list	31 <sup>st</sup> May	31 <sup>st</sup> May	30 <sup>th</sup> September

NOTE:- @@ Head of the Colleges should intimate the vacancies existing after the last date for joining the course by the candidate concerned in respect of the All India Quota of seats to the DGHS within seven days and latest by 6<sup>th</sup> April for postgraduate courses and 23<sup>rd</sup> July for super-speciality courses.